

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा, वैशाली


| दिनांक | शिकायत पत्र संख्या-45/13-14 के तथ्य एवं निष्कर्ष | अभ्युक्ति |
|----------|--|-----------|
| 31.11.14 | <p>यह वाद श्री विन्देश्वर प्रसाद, ग्राम +पो0- राजापाकर, जिला- वैशाली के दिनांक 21.11.13 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न है।</p> <p>ग्राम पंचायत राजापाकर (उत्तरी) की मनरेगा अन्तर्गत निर्माण किये गये कुओं के चबुतरे को तोड़ दिया गया है। जिससे यहाँ की जनता में काफी आक्रोश है किसी भी समय जनता का आक्रोश फूट सकता है।</p> <p>शिकायतकर्ता के शिकायत-पत्र के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी, प्रखण्ड- राजापाकर से आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्थल जांच प्रतिवेदन एवं कृत कार्रवाई से अवगत कराने की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में प्रश्नगत शिकायतकर्ता द्वारा वर्णित आरोप की स्थल जांच के क्रम में पाया गया कि सत्र 2010-11 की मनरेगा योजना से निजी भूमि में एक निजी कुओं का जीर्णोद्धार हुआ था। उक्त कुँए से सटे निजी भूमि में ही एक मंदिर का निर्माण करने के क्रम में चबुतरे के एक कोने को, जो लगभग 4'x4' तोड़ा गया है। मंदिर का शेष भाग अलग है।</p> <p>उन्होंने आगे यह भी बताया है कि जहाँ तक जन आक्रोश का प्रश्न है तो स्थल पर किसी तरह का जन आक्रोश नहीं है।</p> <p>उन्होंने अपने कथन के समर्थन में निजी भूमि-धारक एवं स्थानीय ग्रामीणों का कथन भी प्रस्तुत किया है।</p> <p>उक्त कथन में निजी भूमि धारक श्री मंटु प्रसाद, पिता- स्व० राधे कृष्ण प्रसाद, ग्राम-राजापाकर, जिला-वैशाली सहित लगभग पचास से अधिक ग्रामीणों द्वारा मंदिर के निर्माण में सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त सहमति पत्र में ग्रामीणों के अलावे ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच तथा उप सरपंच द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये हैं।</p> <p>एक अन्य कथन में स्थल पर निरीक्षण करने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा ब्यान दिये गये है कि मंदिर का निर्माण सर्व सम्मति से किया जा रहा है एवं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं है। उक्त ब्यान पर छः ग्रामीणों के नाम तथा हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं।</p> <p>दूसरी ओर शिकायतकर्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए।</p> <p>उक्त कुओं तथा मंदिर स्थल के निजी भूमि धारक श्री मंटु प्रसाद द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उक्त मंदिर और कुँआ मेरे निजी जमीन राजस्व सं० 233, खाता सं० 1645 तथा खेसरा सं० 6391 में है। जो नया सर्वे मेरे पिता रामेश्वर प्रसाद वगैरह के नाम पर दर्ज है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि इस मंदिर का निर्माण गाँव की सहमति और चन्दे से किया जा रहा है। शिकायतकर्ता श्री विन्देश्वर प्रसाद ने व्यक्तिगत झगड़े के कारण आपत्ति व्यक्त की है।</p> <p>जांच प्रतिवेदन सहित अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुँआ का जीर्णोद्धार एवं मंदिर निर्माण दोनों कार्य</p> | |

अलग-अलग है तथा दोनों कार्य श्री मंटु प्रसाद पिता- स्व० राधे कृष्ण प्रसाद के निजी जमीन में किये गये हैं, जिसके लिए उनकी तथा स्थानीय ग्रामीण सहित अन्य ग्रामीणों के जन प्रतिनिधि की भी आम सहमति प्राप्त है। कुँआ का जीर्णोद्धार तथा मंदिर का निर्माण, दोनों कार्य आम ग्रामीणों के हित में किया गया है। दोनों स्थलों का उपयोग ग्रामीणों के दैनिक जीवन के कार्यकलाप हेतु ही की जानी है।

शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण ग्रामीणों की असहमति मानने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। व्यक्ति विशेष शिकायतकर्ता के अलावे किसी भी ग्रामीण द्वारा कोई प्रकार की आपत्ति करने के कोई संकेत नहीं मिले है। जिससे जनक्रोध की भावना परिलक्षित माना जा सके। कुँआ के चबूतरे का आंशिक भाग मंदिर के निर्माण कार्य में व्यवहार किया गया है। जबकि कुँआ और चबूतरे का शेष भाग सुरक्षित है और जन उपयोगी कार्य के लिए उपयुक्त है।

अतः उक्त कार्य स्थल में जनहित की भागेदारी और उनकी उपयोगिता देखते हुए वाद का निष्पादन किया जाता है।


हस्ताक्षर


लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।


ज्ञापांक 261 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 31.1.14
प्रतिलिपि: कार्यक्रम पदाधिकारी, राजापाकर को सूचनार्थ।।


लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।


ज्ञापांक 261 श्री मंटु प्रसाद पिता- स्व० राधे कृष्ण प्रसाद दिनांक-31.1.14 वैशाली।
प्रतिलिपि: श्री विन्देश्वर प्रसाद, ग्राम+पो०- राजापाकर, जिला- वैशाली को सूचनार्थ।


लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 261 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 31.1.14
प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ।


लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 261 / मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 31.1.14
प्रतिलिपि: जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह- जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ।


लोकपाल, मनरेगा